न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती चंचल वर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या **92/2016** प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 111, 128रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

हीरा पिता नाथू बलाई निवासी बडला तहसील कोटडी कोटडी जिला–भीलवाडा

बनाम

1. खाना पिता बालू बलाई निवासी बडला तहसील कोटडी कोटडी जिला–भीलवाडा
2. देबी पिता बालू बलाई निवासी बडला तहसील कोटडी कोटडी जिला–भीलवाडा
3. लादू पिता बालू बलाई निवासी बडला तहसील कोटडी कोटडी जिला–भीलवाडा
4. उदा पिता नंदा बलाई निवासी बडला तहसील कोटडी कोटडी जिला–भीलवाडा
5. सुखा पिता नंदा बलाई निवासी बडला तहसील कोटडी कोटडी जिला–भीलवाडा
6. प्रेम पत्नि नंदा बलाई निवासी बडला तहसील कोटडी कोटडी जिला–भीलवाडा
7. उंकार पिता नाथू बलाई निवासी बडला तहसील कोटडी कोटडी जिला–भीलवाडा
8. राज्य जरियें तहसीलदार साहब, कोटडी जिला–भीलवाडा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि.1956

आदेश

दिनांक 12.03.2016

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि.1956 के तहत न्यायालय में दिनांक **02/03/2016** को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम **बडला** तहसील **कोटड़ी** की नवीन **आराजी संख्या 1425, 1426, 1410, 1420, 1423, 1424, 1422, 1427, 1427/1 बीघा में किता 09 रकबा 9.14 बीघा भूमि** जमाबन्दी सम्वत् **2068** से **2071** तक स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें / संयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन जारी कियें गयें। सम्मन बाद तामील पत्रावली पर लियें गयें। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुउपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नहीं करायें जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत कियें जाते है एवं प्रकरण में सबंधित भू0अ0निरीक्षक **सवाईपुर** को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके ग्राम **बडला** प0म0 **बडला** स्थित नवीन नवीन **आराजी संख्या 1425, 1426, 1410, 1420, 1423, 1424, 1422, 1427, 1427/1 बीघा में किता 09 रकबा 9.14 बीघा भूमि** जमाबन्दी सम्वत् **2068** से **2071** की कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी उभयपक्ष को सूचित किया जाकर बाद तिथि निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमीश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि **700/–** रूपये जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार कोटड़ी विधिवत पत्थरगढ़ी के आदेश सबंधित भू0अ0नि0 को करेंगें।

(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – तहसीलदार कोटड़ी को भेजकर लेख है कि आवदेक की राशि जमा होने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

12/3/16

(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा